(12)

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार में पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु हुडको (HUDCO- Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्त्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 5,000 करोड़ (पाँच हजार करोड़) रुपये वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचनागत, समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार पर्यटन नीति, 2023 प्रभावी है । इस नीति के निम्नांकित पाँच मुख्य स्तंभ हैं :–

- विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण ।
- पर्यटकीय उत्पादों एवं अवसरंचनाओं का निर्माण ।
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास ।
- पर्यटक सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सुविधा हेतु उच्चतम मानक पर जोर देना ।
- पर्यटन केन्द्रित सर्वोत्तम श्रेणी की प्रौद्योगिकी को लागू करना ।

2. विश्व के कई देशों यथा– श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव इत्यादि तथा देश के कई राज्यों यथा– जम्मू–कश्मीर, गोवा, सिक्किम, राजस्थान इत्यादि की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है । पर्यटन के दृष्टिकोण से वैश्विक मानचित्र पर बिहार राज्य का विशिष्ट स्थान है । अन्तराष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटन में बिहार राज्य क्रमशः 9वें एवं 11वें पायदान पर स्थित है ।

3. बिहार पर्यटन नीति, 2023 के उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु निर्धारित विभिन्न रणनीतियों के अन्तर्गत आधारभूत पर्यटकीय संरचना यथा– पर्यटकों की सुविधा हेतु सितारा होटलों, कन्वेंशन सेन्टर, मार्गीय सुविधा, स्मार्ट टॉयलेट, वाई–फाई जोन, वाटर एटीएम, स्मार्ट पार्किंग एवं कनेक्टिविटी का विकास किया जाना है।

4. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटकीय आधारभूत संरचना विकास के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को हुडको (HUDCO- Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण प्राप्त करने हेतु निम्नांकित शर्त्तों के अधीन अधिकृत किया जाना अपेक्षित हैः–

(i) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के ऋण उगाही पर संबंधित बोर्ड का Approval अपेक्षित है ।

(ii) Financial Analysis के अन्तर्गत
  (a) Project wise IRR (Internal rate of return) calculation
  (b) Debt Service coverage ratio

(iii) Project wise Lender details

(iv) Rate of Interest

(v) Repayment schedule

(vi) Escrow Account का संधारण–उपयोगकर्त्ता शुल्क एवं प्राप्त ऋण के लिए Escrow Account का इस्तेमाल किया जायेगा। उपयोगकर्त्ता शुल्क से प्राप्त राशि प्राथमिकता के रूप में ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी में इस्तेमाल होगा।

(vii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267 दिनांक 23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत गारंटी शुल्क लिये गये ऋण का न्यूनतम 0.25 प्रतिशत एवं पूर्व वर्ष के अवशेष ऋण का 0.25 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष राजकोष में जमा किया जायेगा।

(vii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267 दिनांक 23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत राज्य सरकार परियोजना हेतु ऋण के 80 प्रतिशत की अधिसीमा में गारंटी प्राप्त की जाएगी ।

5. बिहार में पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु हुडको (HUDCO-Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्त्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 5,000 करोड़ (पाँच हजार करोड़) रुपये वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 24.06.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या– 42 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– लेखा/बजट– 05/2026........................../प०वि०, पटना दिनांकः–.......................
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– लेखा/बजट– 05/2026...1754..../प०वि०, पटना दिनांकः–25/6/26
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/प्रबंध निदेशक, Housing and Urban Development Corporation/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
25/6/2026